एन. देविंद्रप्पा

बनाम

कर्नाटक राज्य

7 मई, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

भारतीय दंड संहिता 1860; धारा 420:

धोखाधड़ी-बेईमानी से शिकायतकर्ता को एक योजना के तहत एक भूखंड आवंटित करने का वादा करते हुए एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना-भूखंड आवंटित नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया और धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसे सजा सुनाई।

उच्च न्यायालय में सजा के विरुद्ध अपील करने पर उच्च न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि करते हुए संशोधित सजा सुनाई कि अभियुक्त ने कई व्यक्तियों को धोखा दिया।शिकायतकर्ता के के साक्ष्य की पुष्टि अभियुक्त के हस्ताक्षर वाले प्रदर्शित दस्तावेजों, जिसकी हस्तलेख विशेषज्ञ के द्वारा जांच की गई थी, होती है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी एक रिटायर प्रधानाध्यापक था, जिस पर यह आरोप था कि उसने शिकायतकर्ता को बेईमानीपूर्वक आशय से उत्प्रेरित कर एक प्लॉट उसे देने के बदले कुछ राशि अग्रिम रूप से शिकायतकर्ता से प्राप्त की थी। तकाजा करने पर भी शिकायतकर्ता को भूखंड आवंटित नहीं किया गया। निचली अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध करने का दोषी पाया और उसी के अनुसार उसे सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 420 भारतीय दंड संहिता की सजा को संशोधित कर उसे छह महीने के साधारण कारावास और 2000/- रुपए के जुर्माना देने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम करने पर अतिरिक्त दो माह का साधारण कारावास से दोषसिद्घ किया गया। इसलिए यह वर्तमान अपील पेश की गई ।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अवधारण किया कि-

1.1 . अपीलार्थी ने न केवल शिकायतकर्ता को बल्कि कई लोगों को धोखा दिया था। शिकायतकर्ता के साक्ष्य की पुष्टि प्रदर्शित दस्तावेजों के द्वारा की जाती है। प्रदर्श पी 2 और प्रदर्श पी 3 और इन दो दस्तावेजों पर अभियुक्त और शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर हैं और अभियुक्त की लिखावट की गवाही लिखावट विशेषज्ञ द्वारा दी जाती है। अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता को दी गई फर्जी रसीदें पी2 और पी3 जारी करना निश्चित

रूप से धोखाधड़ी के साथ-साथ शिकायतकर्ता को यह प्रलोभन भी देता है कि अभियुक्त द्वारा उसे छह महीने या एक साल में एक भूखंड प्रदान किया जाएगा। चूँकि संपत्ति में धन शामिल है, इसलिए धारा 420 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध बनाया गया है। अपीलार्थी की ओर से निश्चित रूप से बेईमान मंशा थी। [पैरा 8] [38-डी-एफ]

1.2 . नीचे दिए गए न्यायालयों ने साक्ष्य पर बहुत विस्तार से विचार किया है और अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर तथ्य के निष्कर्षों को दर्ज किया है और इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 10] [39-बी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील संख्या 686/2007

सी. आर. एल. 2003 का आर. पी. सं. 880 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 10.04.2006 से।

अपीलार्थी के लिए विकास रोजीपुरा और ई. सी. विद्या सागर।

उत्तरदाता के लिए अनीता शेनॉय।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मार्कंडेय काटजू, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2003 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 880 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 10.04.2006 के विवादित फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

3. पक्षों की ओर से विद्वानों की सलाह सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।

4. उच्च न्यायालय ने धारा 420 भारतीय दंड संहिता के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा को संशोधित किया और इसके बजाय अपीलार्थी को छह महीने के साधारण कारावास और 2,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, और जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर दो महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।

5. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी एक स्कूल का सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक है। उन्होंने की आड़ में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली कि वह सामाजिक कार्य करेंगे। अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 05.10.1995 और 18.11.1995 पर अपीलार्थी/अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को बेईमानीपूर्वक आशय से धोखाधड़ी करते हुए उसे अभियुक्त को 2,000/- रुपये नकद देने के लिए उकसाया और उक्त शिकायतकर्ता को उसे भूखंड आवंटित करने का आश्वासन दिया, हालांकि उक्त संपत्ति अपीलार्थी की संपत्ति नहीं थी।

6. अपीलार्थी का मामला यह था कि उसका शिकायतकर्ता को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था और यह मामला सिविल प्रकृति का है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष यह कहना था कि अपीलार्थी अभियुक्त भूमि का मालिक नहीं था और उसने शिकायतकर्ता को यह विश्वास दिलाया कि वह जमीन का मालिक है और जमीन का एक भूखंड बेचने के लिए अपीलार्थी/अभियुक्त ने अग्रीम रूप से विक्रय के प्रतिफल हेतु धनराशि प्राप्त की गई। शिकायतकर्ता से अग्रीम रूप से धनराशि मिलने के बाद भी बार-बार अनुरोध करने के बाद भी शिकायतकर्ता को कोई भी भूमि/प्लाॅट आवंटित नहीं किया गया।

7. हमने अभिलेख के साथ-साथ निर्णयों का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। कोई कृत्य सिविल और आपराधिक दायित्व दोनों हो सकता है। केवल इसलिए कि अपीलार्थी का कार्य सिविल दायित्व का है, तो वह आपराधिक दायित्व नहीं हो सकता, सही नहीं है।

8. नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के तथ्य का निष्कर्ष यह है कि अपीलार्थी ने बेईमानी से शिकायतकर्ता को 2,000/- रुपये अग्रिम के रूप में देने के लिए प्रेरित किया। जमीन के भूखंड की बिक्री के लिए आंशिक भुगतान के रूप में नकद, यह जानते हुए कि वह उक्त भूखंड का मालिक नहीं है। अपीलार्थी ने इसी तरह कई अन्य व्यक्तियों को यह कहकर धोखा दिया था कि उन्हें भी भूखंड आवंटित करते थे और उनसे भी पैसे ले लिए

और उन्हें भूखंड आवंटित नहीं किए। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने न केवल शिकायतकर्ता को बल्कि कई व्यक्तियों को धोखा दिया था। उदाहरण के लिए, पीडब्लू 9 श्री सीताराम कलंजी ने अभियुक्त के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए। शिकायतकर्ता के साक्ष्य की पुष्टि प्रदर्श पी 2 और प्रदर्श पी 3 और इन दो दस्तावेजों पर अभियुक्त और शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर, जिसकी हस्तलेख विशेषज्ञ के द्वारा जांच की गई थी, जिसके द्वारा गवाही भी दी गई थी।

अभियुक्त की गवाही लिखावट विशेषज्ञ द्वारा दी जाती है। हमारी राय में, शिकायतकर्ता को आरोपी द्वारा दी गई फर्जी रसीदें पी 2 और पी 3 जारी करना निश्चित रूप से धोखाधड़ी के साथ-साथ शिकायतकर्ता को यह प्रलोभन भी देता है कि अभियुक्त द्वारा छह महीने या एक वर्ष में उसे एक भूखंड प्रदान किया जाएगा। चूँकि संपत्ति में धन शामिल है, इसलिए धारा 420 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध किया गया है। हमारी राय में, अपीलार्थी की ओर से निश्चित रूप से बेईमान मंशा थी।

9. शिकायतकर्ता रेनचंद्रप्पा भ्रामेरी, पीडब्लू 01 ने बयान दिया है कि अभियुक्त ने यह आभास दिया कि वह गरीबों को राजीव गांधी बडवारा क्षेमाभिरुद्दी संघ के प्रतिनिधि के रूप में स्थल वितरित कर रहा था और 5.10.1995 पर आरोपी उसकी दुकान पर आया और उसे आश्वासन दिया कि उसे भी 3,000/- रुपये प्रति गुंटा की दर से जमीन में एक घर की

जगह मिलेगी। पीडब्लू 1 ने आगे कहा कि उसने आरोपी के शब्दों पर विश्वास करते हुए 2,000/- रुपये अपीलार्थी/अभियुक्त को आंशिक भुगतान के रूप में दिए गए और आरोपी ने उसे अपने हस्ताक्षर के तहत राशि प्राप्त करने की रसीद दी। पीडब्लू 1 ने आगे कहा कि आरोपी ने उसे आश्वासन दिया कि वह 6 से 8 के भीतर विचाराधीन भूखंड पर कब्जा करा देगा। एक दिन उन्हें उस गाँव में ले जाया गया जहाँ भूखंड स्थित था और उन्हें यह कहते हुए एक भूमि दिखाई कि उक्त भूमि से उन्हें एक भूखंड दिया जाएगा। हालांकि, आरोपी ने उसे भूखंड का कब्जा नहीं दिया और उसे यह आश्वासन देकर स्थगित कर दिया कि उसे भूखंड दिया जाएगा। आरोपी हमेशा उसे अपनी बातों पर विश्वास दिलाता था।

10. नीचे दी गई अदालतों ने साक्ष्य पर बहुत विस्तार से विचार किया है और अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर तथ्य के अभिलिखित निष्कर्ष से असहमत होने का कोई कारण हमे नहीं दिखता है।

11. अपील में कोई बल नहीं है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुप्रभा देवल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।